

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सीन अधिकारी :- जय कौशिक  
पत्र संख्या :- 433/2024

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

सीन खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. इकबाल खान पुत्र शोकत अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. असगर अली नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. युनस अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी पत्नी श्योनारायन जाति जाट निवासी चक 9 एमएमके किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. शारदा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. साबर अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया रोड हनुमानगढ़ जं.
8. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया रोड हनुमानगढ़ जं.
9. शाखा प्रबंधक बैंक एसबीआई शाखा लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. शाखा प्रबंधक बैंक एसबीआई शाखा लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. शाखा प्रबंधक बैंक एसबीआई शाखा कोर्ट रोड संगरिया तहसील संगरिया।

12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 20.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु  
श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल प्रति.सं. 1 व 5  
वकील मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन  
प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	1. असगरअली 1. 518- हि. राहिन पीएनबी शाखा धोलीपाल 2 युनसअली 0.759 हि. राहिन पीएनबी शाखा धोलीपाल 3 साबरअली 1.012 हि. राहिन एसबीआई लीलावाली नूरमोहम्मद 4 सीलीम खान 0.759 हि. राहिन एसबीआई कोर्ट रोड	प.मं. किकरवाली के चक 9 एमएमके के खाता सं. 79/5 खाते का योग 6.325 हैव. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	सलीम खान 0.759 हि. राहिन एसबीआई कोर्ट रोड शाखा संगरिया ईकबाल खान 0.759 हि. राहिन बीओबी शाखा संगरिया .रोड हनुमानगढ़ जं. पि. शोकतअली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली	प.न. 130/200 मु.न. 15 का कि.न. 4.7/0.506, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै. मु. खाला, प.न. 130/201 मु.न. 22 का कि.न. 2/1/0.228 ,2/2/0.025 गै.मु. रास्ता, कुल-1.518 हेक्.
2			रोशनी पत्नि श्योकरण 0.759 हि. राहिन एसबीआई लीलावाली शारदा पत्नि सुरेन्द्र कुमार 0.759 हि. पीएनबी शाखा संगरिया जाति जाट निवासी धोलीपाल खातेदार जाति जाट निवासी धोलीपाल	प.न. 130/200 मु.न. 15 का कि.न 18 ता.23/1.518 कुल-1.518 हेक्.

कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

शाखा संगरिया 5  
ईकबाल खान 0.  
759 हि. राहिन  
बीओबी शाखा  
संगरिया रोड़  
हनुमानगढ जं. पि.  
शोकतअली 6  
रोशनी पत्नि  
श्योकरण 0.759 हि.  
राहिन एसबीआई  
लीलवाली 7 शारदा  
पत्नि सुरेन्द्र कुमार  
0.759 हि. पीएनबी  
शाखा संगरिया  
जाति जाट निवासी  
धोलीपाल खातेदार

असगरअली 1.518 हि. राहिन  
पीएनबी शाखा धोलीपाल 2  
यूनसअली 0.759 हि. राहिन  
पीएनबी शाखा धोलीपाल 3  
साबरअली 1.012 हि. राहिन  
एसबीआई लीलवाली पि.  
नूरमोहम्मद जाति मुसलमान  
निवासी किकरवाली

प.न. 130/200 मु.न. 15 का  
कि.न. 14,17/0.506, 15/1/0.  
228, 15/2/0.025 गै.मु.  
खाला, 16/1/0.228,  
16/2/0.025 गै.मु. खाला, प.न.  
131/200 मु.न. 16 का कि.न.  
1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.  
मु. खाला, 2/1/0.228  
2/2/0.025 गै.मु. खाला  
3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.  
मु. खाला, 8 ता 13/1.518  
कुल-3.289 हेव.




अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/3049 दिनांक 25.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.8.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
 (जय कौशिक)  
 सहायक क्लर्क एवं  
 उपसहाय अधिकारी  
 संगरिया